

V

खाता संख्या	रोसरा संख्या	रकम (एकड़ में)
455	3671	0 एकड़ 4 13 डिगमील 0 डेकर

भराजी नकदी	भराजी भावनी	तफसील हिसाब लगान भावनी
------------	-------------	------------------------

जान का सालाना मय मय तफसील (बकाया को हाल) मौजूदा साल का।

भाग बाज	सालाना	बकाया				हाल (2020-2021)
		तीन वर्ष से ज्यादा	3 स वर्ष	2 स वर्ष	1 सा वर्ष	
माल (नकदी)	4.00					4.00
गुजारी (भावनी)	1.00					1.00
रोस	2.00					2.00
गुद	2.00					2.00
भूतफरकाल	0.80					0.80
मौजान	9.80					9.80

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाज	तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया			मौजाना हाल (2020-2021)	परीकल
		3 स वर्ष	2 स वर्ष	1 सा वर्ष		
माल (नकदी)					4.00	
गुजारी (भावनी)					1.00	
रोस					2.00	
गुद					2.00	
भूतफरकाल					0.80	
मौजान अदायकारी					9.80	

(1) मौजान कुल (लफजी में) : Nine Rupees and Eighty Paise

(2) नाम देहिन्या -

(3) कुल बकाया - 9.80

तारीख अकाल तारीख कुनिन्दा 30-09-2020

यह मालका को बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सक्षिपकेत जारी हो) गुद नहीं किया गया है।



सोनी गोस्वामी

यह एक अमरपुत्र जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्राचीन की जवाबदारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अनुद्वेषों के लिए सर्वोच्चत जवाबदारी से संपर्क करें।

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 611509090521124327

Date : 09-05-2021

प्रभावी : 1 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री , SONI GOSWAMI C/O SUKHDEV GOSWAMI,
मोहल्ला CHHOTKI BAGHI KODERMA KODERMA
KODERMA , 825410
.9433015365

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0100000363000M0 वार्ड सं. 10 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	21.00
2.	जल कर	0.00
3.	शीचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	21.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		21.00



नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीक 11.4 के अलावा से वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
दियावत है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निम्न को सूचित कर तथा अतिरिक्त गृह कर से छूट पावे।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसाहिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूर्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिख जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय पूर्ति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सार्वजनिक ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-व्यवस्थापक पत्र की स्थानीय जांच तथा समग्र निम्न कक्षा तकनीक एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीक 13.2 के अनुसार निर्धारित शर्तों (Fines) एवं अंतर राशि देय होगा।
- KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संगठित इस सम्पत्ति कर इन दस्तावेजों को बड़े कानूनी हितों पर ध्यान नहीं करता है और एवम न ही अपने मालिकों / दायतकों को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आधुनिक अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट सरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत मान्य जावेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant